तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 194 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.11.20	अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीवाल, पता 128, परिहार नगर, भदवासिया जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.08.20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निजी खातेदारों की जमीन अवाप्त करने के लिए आपके कार्यालय से जारी किये गये नोटिसों की प्रमाणित प्रतिया व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसिया) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदा औसियां) से जरिये पत्रांक 127 दिनांक 04.11.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी से संबंधित होने के कारण कार्यालय के पत्रांक / रीडर / आर.टी.आई. / 2020 / 114 दिनांक 08.09.2020 के जरिये उपखाण्ड अधिकार औसियां को प्रेषित कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी सूचनार्थ पत्रांक 115 दिनांक 08.09.20 जारी किया गया। उपरोक्त पत्र प्रार्थी अमित भाटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जारी किया गया, न कि अपीलार्थी डॉ. राजेन्द्र कुमार बंशीलाल का प्रार्थना पत्र पर। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की गई वो स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति न होकर, अन्य प्रार्थी अमित भाटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न की गई है तथा में क्या सूचना चाही गई, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है अतः प्रस्तुत अपील से यह जाहिर नहीं होता है कि अपीलार्थी / प्रार्थी ने तहसीलदार औसियां से क्या सूचना मांगी गई, परिणामस्वरूप अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2020.12.08 14:37:30 IST
Reason: SelfAttested